ब–अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

राoविo वाद संo– 25 / 18–19

पिंकी देवी बनाम् लालचन्द्र मिर्धा वगैo

–: आदेश :–

04.02.2023

वर्त्तमान वाद आवेदिका पिंकी देवी, पति–स्वo फादर मिर्धा, साo–पंचगाछी, थाना–महागामा, जिला–गोड्डा के आवेदन पर मौजा–पांचगाछी नंo–766, जमाबंदी नंo–19, दाग नंo–52, 72, 105, 163, 177, 194, 264, 265 के अंदर कुल रकवा–05–05–12 धूर भूमि पर दखल कब्जा हेतु विपक्षीगण लालचन्द्र मिर्धा, मनोज मिर्धा, पेo–स्वo शैबू मिर्धा, भावेश मिर्धा, पेo–स्वo शिवपूजन मिर्धा, सभी साo–पंचगाछी, थाना–महागामा, जिला–गोड्डा के बीच हुए विवाद को लेकर प्रारंभ किया गया है। तद्नुसार उभय पक्ष द्वारा निर्गत नोटिस के विरूद्ध न्यायालय में उपस्थित होकर अपना कागजात दाखिल किया गया तथा अंचल अधिकारी, महागामा से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने, अंचल अधिकारी, महागामा के पत्रांक–96 / राo, दिनांक–06.02.2018 द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकनोपरांत स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष एक ही जमाबंदी रैयत के वारिशान हैं तथा उभय पक्षों के बीच स्वत्व को लेकर विवाद है, जिसका निपटारा सक्षम न्यायालय से संभव है। अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

04.02.23

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

04.02.23

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

Seen.
Bipade Kumar Singh
Adv
08/04/23

Digitally signed by Saurabh Kumar Bhuwania
Date: 2023.04.12 13:18:54 +05:30
Location: 192.168.8.115

Scanned with OKEN Scanner